

FORM-II
(for projects other than linear projects)
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, CHAMBA DISTRICT CHAMBA H.P.

No 325 / CBA/DRA/2016


Dated Chamba 24 October, 2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition) of Forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that **11.9813 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P. State Electricity Board Ltd.** for Construction of **Sai-Kothi HEP-II (16.5 MW)** falls within the jurisdiction of **Hartwas, Shalli, Douri & Tissagarh** village in Tehsil Churah District Chamba. It is further certified that: -

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **11.9813 Hectare** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-IV.
- b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.
- c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha is enclosed as annexure I to II.
- b) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. (Not applicable)
- d) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA.

Encls: - As above.



(Signature)
District Collector,
Chamba District Chamba

✓
DS
[Signature]

450 43

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CHAMBA DISTRICT CHAMBA (HP)

Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Chamba District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairpersonship of Mrs. M. Sudha Devi, IAS, Deputy Commissioner, Chamba on 28.04.2015 at 03:00 P.M. at Chamba in which the application(s) of the applicant(s) of Hartwas Gram Sabha, claiming rights in Forest area(s) of this Gram Sabha under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Sub Division level committee Churah were discussed to consider the same for admission by the District level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted.


<u>Sr. No.</u>	<u>Name of the Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right(s)</u>
1.	Nil	Nil	Nil

OR

As informed by SDO(C) Churah, no application was received from Hartwas Gram Sabha claiming right(s) in Forest area of this Gram Sabha.

Place:- Chamba (HP)
Dated:- 28.04.2015.

14
Deputy Commissioner-cum-Chairperson,
DLC, Chamba, Distt. Chamba.

Attested.

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Annexure 111

No: - SDO (C)/CHR/OK/2015/- 131

Dated:-28-02-2015

Office of the Sub-Division Officer (C), Churah, District Chamba (HP).

Proceeding of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Scheduled Tribe & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of Sub Division level Committee of Churah Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Sanjay Kumar Dhiman, SDO[Civil] Churah on 21-02-2015 at 11.00 AM at Bhanjraru in which the application[s] of ----- Gram Sabha claiming rights in ----- forest areas under FRA,2006, duly processed and recommended by the ----- Gram Sabha/Mohal Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claim of following applicants were found in order and recommended for admission to District Level Committee.

S.No.	Name of Applicant	Name of Forest Right Committee	Detail of forest Right
-------	-------------------	--------------------------------	------------------------

-----Nil-----

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant	Name of ForestRight Committee	Detail of forest Right
-------	-------------------	-------------------------------	------------------------

-----Nil-----

OR

As informed by Shalli Gram Sabha/Mohal Sabha, no application was received claiming rights in Shalli forest area.

Place: Bhanjraru.
Date: 28-02-2015
Enclosure:

Attested
[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

[Signature]
Sanjay Kumar Dhiman
SDO[Civil] -cum-Chairman/ Chairperson,
Sub Division Churah, District Chamba.
Himachal Pradesh.

कायालय वन अधिकार सामात

45

रजिस्त्र मुहाल : हरतवास

ग्राम पंचायत : हरतवास

तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 7/6/2014

प्रस्ताव संख्या : 1

अध्यक्षता : श्री अमर सिंह

उपस्थिति : 10/10

विषय :- वन अधिकार समिति हरतवास मुहाल द्वारा हरतवास

मुहाल के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों व आक्षेपों को आमंत्रित करने हेतु ।

आज दिनांक 7/6/14 को 10.00 बजे वन अधिकार रक्षा समिति हरतवास कि बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता श्री अमर सिंह ने की है । आज इस कमेटी में यह विचार विमर्श हुआ कि इस मुहाल में वन रक्षा अधिकार समिति का गठन हो चुका है । तथा इस सम्बन्ध में वन भूमि के अधिकारों के लिए हितबद्ध व्यक्तियों के दावों व आक्षेपों पर विचार करने के लिए मुश्वरी - मुनादी व इशतहार चस्पा करके दावे आमंत्रित किये जाएं ताकि इस पर आगामी कार्यवाही की जा सके । प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया । तथा इसकी सूचना श्री मान उपायुक्त महोदय चम्बा । उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह । श्री मान खण्ड विकास अधिकारी तीसा व प्रधान ग्राम पंचायत हरतवास को भेजी जाए ।

प्रधान अमर सिंह
वन अधिकार समिति
मुहाल हरतवास
ग्राम पंचायत हरतवास
तहसील चुराह जिला चम्बा

रजिस्त्र अमर सिंह
वन अधिकार समिति
मुहाल हरतवास
ग्राम पंचायत हरतवास
तहसील चुराह जिला चम्बा

Attested

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	माधूक	प्रधान	अंग्रेजी
2	रूप लाल	सचिव	अंग्रेजी
3	अमरा	सदस्य	अंग्रेजी
4	और देव	"	अंग्रेजी
5	राज सुहमद	"	अंग्रेजी
6	कोमल	"	हि-पि
7	जैराम	"	हि-पि
8	देवी देव	"	हि-पि
9	लाला	"	हि-पि
10	राज सुहमद	"	हि-पि

Yash
Kumar

A. H. K. S. S.

District Revenue Officer
Chamba, Dist. CHAMBA (H.P.)

सचिव
जन अधिकार समिति
मुद्रा
ग्राम पंचायत
तहसील कुलह जिला, चम्बा

कार्यालय वन अधिकार समिति

राजस्व मुहाल : शाली

ग्राम पंचायत : हरतवास

उपमंडल चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक : 05/10/2014

प्रस्ताव संख्या : 2

अध्यक्षता :

उपस्थिति : 10/10

विषय:- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक 05/10/2014 को 11:00 बजे वन अधिकार समिति शाली की बैठक अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वनवासी के वन अधिकारों पर 07/06/2014 को बुलाई गई बैठक की समीक्षा की गई। समिति ने शाली में वन भूमि पर अधिकारों हेतु मुशत्री-मुनादी इशतहार इत्यादि द्वारा व्यापक प्रचार किया है। 121 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर समिति के समक्ष कोई भी दावा या आक्षेप प्रस्तुत नहीं हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति का इस मुहाल के वन भूमि पर किसी भी किस्म का दावा व आक्षेप नहीं है। तथा कमेटी भी विचार विमर्श करने उपरांत यह महसूस करती है कि इस मुहाल में वन भूमि पर किसी किस्म का दावा शून्य है तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में मुहाल सभा शाली के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जाए ताकि इस पर आगामी कार्यवाही हो सके। अतः इसकी प्रतिलिपि श्रीमान उपायुक्त महोदय, चम्बा। श्रीमान उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

4/10/2014
District Revenue Officer,
Chamba, Distt CHAMBA (H.P.)

प्रधान
वन अधिकार समिति
मुहाल
ग्राम पंचायत
तहसील चुराह जिला चम्बा

दिनांक 05/10/2014

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	शाक्य	प्रधान	अंग्रेजी
2	संप लाल	सीचर	अंग्रेजी
3	कीन जी	सदस्य	हिन्दी
4	राज भुमरा	"	अंग्रेजी
5	लाला	"	हिन्दी
6	अमरा	"	अंग्रेजी
7	बोम देव	"	अंग्रेजी
8	देवी देवी	"	हिन्दी
9	नरेन्द्र	"	हिन्दी
10			

प्रधान
जन अधिकार समिति
मुख्यालय
सोनारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश

Attested
District Revenue Officer
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

मुख्य
जन अधिकार समिति
मुख्यालय
सोनारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश

कार्यालय वन अधिकार समिति

प्रस्ताव संख्या

3

बैठक

मुहाल सभा शाली

अध्यक्षता

श्रीमति कनीजी

उपस्थिति

75/86

दिनांक

20-01-2015

(10:00 AM)

विषय:- वन अधिकार समिति मुहाल शाली के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों पर विचार।

अध्यक्ष वन अधिकार समिति मुहाल शाली ने मुहाल सभा शाली के सम्मुख वन अधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें उपरोक्त राजस्व मुहाल से सम्बन्धित दावों व आक्षेपों को नियमानुसार आमंत्रित किया गया था। कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार 90 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी सम्बन्धित मुहाल में वन अधिकार से सम्बन्धित कोई भी दावा व आक्षेप कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिसे अनुमोदन हेतु मुहाल सभा शाली लाया गया है। मुहाल सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने विस्तारित चर्चा की तथा इस सम्बन्ध में सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वन अधिकार समिति शाली की सिफारिश उचित है तथा वन रक्षा अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी का दावा/आक्षेप इत्यादि प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः मुहाल शाली में यह दावा शून्य समझा जाता है। अतः सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित कार्यों के लिए भविष्य में अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस प्रस्ताव को मुहाल सभा में सर्वसहमति से पारित किया गया प्रस्ताव की प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान उपायुक्त महोदय चम्बा। श्रीमान उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को भेजी जाती है।

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल कार्यवाही रजिस्ट्रार मुताबिक सही है।

प्रमाणित
वन अधिकार समिति
मुहाल
प्राम पंदायत
तहसील चुराह जिला चम्बा

सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल
प्राम पंदायत
तहसील चुराह जिला चम्बा

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CHAMBA DISTRICT CHAMBA (HP)

Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Chamba District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairpersonship of Mrs. M. Sudha Devi, IAS, Deputy Commissioner, Chamba on 28.04.2015 at 03:00 P.M. at Chamba in which the application(s) of the applicant(s) of Shalli Gram Sabha, claiming rights in Forest area(s) of this Gram Sabha under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Sub Division level committee Churah were discussed to consider the same for admission by the District level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted.

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of the Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right(s)</u>
1.	Nil	Nil	Nil

OR

As informed by SDO(C) Churah, no application was received from Shalli Gram Sabha claiming right(s) in Forest area of this Gram Sabha.

Place:- Chamba (HP)

Dated:- 28.04.2015.

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,
DLC, Chamba, Distt. Chamba.

Attested
[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Annexture 111

No: - SDO (C)/CHR/OK/2015/- 131 Dated:-28-02-2015
Office of the Sub-Division Officer (C), Churah, District Chamba (HP).

Proceeding of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Scheduled Tribe & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of Sub Division level Committee of Churah Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Sanjay Kumar Dhiman, SDO[Civil] Churah on 21-02-2015 at 11.00 AM at Bhanjraru in which the application[s] of ----- Gram Sabha claiming rights in----- forest areas under FRA,2006, duly processed and recommended by the ----- Gram Sabha/Mohal Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claim of following applicants were found in order and recommended for admission to District Level Committee.

S.No.	Name of Applicant	Name of Forest Right Committee	Detail of forest Right
		-----Nil-----	

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant	Name of Forest Right Committee	Detail of forest Right
		-----Nil-----	

OR

As informed by Hartwas Gram Sabha/Mohal Sabha, no application was received claiming rights in Hartwas forest area.

Place: Bhanjraru.
Date: 28-02-2015
Enclosure:

S.K. Dhiman
Sanjay Kumar Dhiman
SDO[Civil] -cum-Chairman/ Chairperson,
Sub Division Churah, District Chamba,
Himachal Pradesh.

A. K. Sood
[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

राजस्व मुहाल : शाली
ग्राम पंचायत : हरतवास
तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)
प्रस्ताव संख्या : 1

दिनांक 7/6/2014

अध्यक्षता : याकूफ

उपस्थिति : 9/10

विषय :- वन अधिकार समिति शाली मुहाल द्वारा शाली मुहाल के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों व आक्षेपों को आमंत्रित करने हेतु ।

आज दिनांक 7/6/2014 को 10.00 बजे वन अधिकार रक्षा समिति शाली कि बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता श्री याकूफ ने की है । आज इस कमेटी में यह विचार विमर्श हुआ कि इस मुहाल में वन रक्षा अधिकार समिति का गठन हो चुका है । तथा इस सम्बन्ध में वन भूमि के अधिकारों के लिए हितबद्ध व्यक्तियों के दावों व आक्षेपों पर विचार करने के लिए मुश्त्री - मुनादी व इशतहार चस्पा करके दावे आमंत्रित किये जाएं ताकि इस पर आगामी कार्यवाही की जा सके । प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया । तथा इसकी सूचना श्री मान उपायुक्त महोदय चम्बा । उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह । श्री मान खण्ड विकास अधिकारी तीसा व प्रधान ग्राम पंचायत हरतवास को भेजी जाए ।

Signature
प्रधान
वन अधिकार समिति
मुहाल शाली
ग्राम पंचायत हरतवास
तहसील चुराह जिला चम्बा

Attested
Signature
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Signature
सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल शाली
ग्राम पंचायत हरतवास
तहसील चुराह जिला चम्बा

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री अमर सिंह	प्रधान	अंग्रेजी
2	श्री दीवान चन्द	सचिव	अंग्रेजी
3	श्री दुर्गा चन्द	सदस्य	अंग्रेजी
4	श्री मति जायवन्ती	"	हिन्दी
5	श्री मति नीलम	"	अंग्रेजी
6	श्री मति बैरु	"	हिन्दी
7	श्री मति विदामू	"	हिन्दी
8	श्री मति खुर्नागा	"	हिन्दी
9	श्री परजा राम	"	अंग्रेजी
10	श्री ध्यान सिंह	"	हिन्दी

प्रधान
जन प्रतिनिधि
समिति
चम्बा

A. H. Steel
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Seema Chel
जन प्रतिनिधि
समिति
चम्बा

कार्यालय वन अधिकार समिति

राजस्व मुहाल : 57/27

ग्राम पंचायत : मणरास

उपमंडल चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 01/01/2015

प्रस्ताव संख्या : 01

अध्यक्षता : श्रीमति हरदेई

उपस्थिति : 12/12

विषय:- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक 11/01/15 को 12.....बजे वन अधिकार समिति 57/27 की बैठक अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वनवासी के वन अधिकारों पर 7.2/5/14 को बुलाई गई बैठक की समीक्षा की गई। समिति ने 57/27 मुहाल में वन भूमि पर अधिकारों हेतु मुश्त्री-मुनादी इशतहार इत्यादि द्वारा व्यापक प्रचार किया है। 20..... दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर समिति के समक्ष कोई भी दावा या आक्षेप प्रस्तुत नहीं हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति का इस मुहाल के वन भूमि पर किसी भी किस्म का दावा व आक्षेप नहीं है। तथा कमेटी भी विचार विमर्श करने उपरांत यह महसूस करती है कि इस मुहाल में वन भूमि पर किसी किस्म का दावा शून्य है तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा मणरास के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जाए ताकि इस पर आगामी कार्यवाही हो सके। अतः इसकी प्रतिलिपि श्रीमान उपायुक्त महोदय, चम्बा। श्रीमान उपमंडल अधिकारी (ना0) चुराह। श्री मान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Bhagat R...

प्रधान/अध्यक्ष
वन अधिकार कमेटी
मणरास डोरी

सचिव
वन अधिकार कमेटी
मणरास डोरी

संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री अमर सिंह	प्रधान	अंग्रेजी
2	श्री. जीवन चन्द	सचिव	अंग्रेजी
3	श्री. वृ	सदस्य	हिन्दी
4	विदालू	"	हिन्दी
5	सुनीता	"	हिन्दी
6	दुनी चन्द	"	अंग्रेजी
7	वैजान सिंह	"	हिन्दी
8	नीलम कुमारी	"	अंग्रेजी
9	जयकृती	"	अहिन्दी
10			

प्रमाणित
यह प्रमाणित है कि
मुद्रांक
ग्राम पंचायत
सहस्रीय दस्तावेज

Attested
District Revenue Officer
Chamba, Dist. CHAMBA (H.P.)

Dist. Revenue Officer

वन अधिकार समिति

56

संख्या

3

बैठक

मुहाल सभा हरतवास

अध्यक्षता

श्रीमति नीलम कुमारी

उपस्थिति

181/206

दिनांक

19-01-2015

(10:00 AM)

विषय:- वन अधिकार समिति मुहाल हरतवास के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों पर विचार।

अध्यक्ष वन अधिकार समिति मुहाल हरतवास ने मुहाल सभा हरतवास के सम्मुख वन अधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें उपरोक्त राजस्व मुहाल से सम्बन्धित दावों व आक्षेपों को नियमानुसार आमंत्रित किया गया था। कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार 90 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी सम्बन्धित मुहाल में वन अधिकार से सम्बन्धित कोई भी दावा व आक्षेप कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिसे अनुमोदन हेतु मुहाल सभा हरतवास लाया गया है। मुहाल सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने विस्तारित चर्चा की तथा इस सम्बन्ध में सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वन अधिकार समिति हरतवास की सिफारिश उचित है तथा वन रक्षा अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी का दावा/आक्षेप इत्यादि प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः मुहाल हरतवास में यह दावा शून्य समझा जाता है। अतः सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित कार्यों के लिए भविष्य में अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस प्रस्ताव को मुहाल सभा में सर्वसहमति से पारित किया गया

प्रस्ताव की प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान उपायुक्त महोदय चम्बा। श्रीमान उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को भेजी जाती है।

A. A. S. S. S. S.
[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल कार्यवाही रजिस्ट्रार मुहाल सही है।

Neelam Kumari
(Ward member)

प्रधान
वन अधिकार समिति
मुहाल
ग्राम पंचायत
तहसील चुराह जिला चम्बा

[Signature]
सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल
ग्राम पंचायत
तहसील चुराह जिला चम्बा

57

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER CHAMBA DISTRICT CHAMBA H.P.

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Chamba District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Sudesh Kumar Mokhta IAS, Deputy Commissioner Chamba on 28-04-2016 at 02:00 PM at Chamba in which the application (s) of the applicant (s) of Douri Gram Sabha claiming rights in Forest area (s) of this Gram Sabha under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Sub-Division level Committee Churah were discussed to consider the same for admission by the District level Committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted.


Sr. No.	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right (s)
1.	Nil	Nil	Nil

OR

As informed by SDO (C) Churah, no application was received from Douri Gram Sabha, claiming right (s) in forest area of this Gram Sabha.

Place: Chamba (HP)
Dated: -28-04-2016


Deputy Commissioner-cum-Chairman
DLC Chamba, District Chamba.

Attested

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Annexure III

Office of the Sub-Division Officer (C), Churah, District Chamba (HP).

Proceeding of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Scheduled Tribe & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of Sub Division level Committee of Churah Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Hitesh Azad, SDO[Civil] Churah on 09-03-2016 at 2.00 PM at Bhanjraru in which the application[s] of ----- Gram Sabha claiming rights in-- --Nil----- forest areas under FRA,2006, duly processed and recommended by the ----- Gram Sabha/Mohal Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claim of following applicants were found in order and recommended for admission to District Level Committee.

S.No.	Name of Applicant	Name of Forest Right Committee	Detail of forest Right
-----Nil-----			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant	Name of ForestRight Committee	Detail of forest Right
-----Nil-----			

OR


Downri


As informed by GramSabha/Mohal Sabha, no application was received claiming rights in area.

Place: Bhanjraru.

Date:29-03-2016

Enclosure: 5


Hitesh Azad (HPAS)
SDO[Civil] -cum-Chairman/ Chairperson.
Sub Division Churah, District Chamba.
Himachal Pradesh.

Attested

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

राजस्व मुहाल : 47 डी/री

ग्राम पंचायत : मंजराड

तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

प्रस्ताव संख्या : 1

दिनांक 07/09/014

अध्यक्षता : श्री मति हरदेई

उपस्थिति : 12/12

विषय :- वन अधिकार समिति 47 डी/री मुहाल द्वारा 47 डी/री मुहाल के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों व आक्षेपों को आमंत्रित करने हेतु।

आज दिनांक 07/09/014 को 10 बजे वन अधिकार रक्षा समिति 47 डी/री कि बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता श्री मति हरदेई ने की है। आज इस कमेटी में यह विचार विमर्श हुआ कि इस मुहाल में वन रक्षा अधिकार समिति का गठन हो चुका है। तथा इस सम्बन्ध में वन भूमि के अधिकारों के लिए हितबद्ध व्यक्तियों के दावों व आक्षेपों पर विचार करने के लिए मुश्त्री - मुनादी व इशतहार चस्पा करके दावे आमंत्रित किये जाएंगे। ताकि इस पर आगामी कार्यवाही की जा सके। प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया। तथा इसकी सूचना श्री मान उपायुक्त महोदय चम्बा। उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्री मान खण्ड विकास अधिकारी तीसा व प्रधान ग्राम पंचायत मंजराड को भेजी जाए।

हरदेई

उपायुक्त/अध्यक्ष
वन अधिकार कमेटी
डी/री

Bhaskar Ram

सचिव
वन अधिकार कमेटी
मुहाल डी/री

Attested

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

राजस्व मुहाल : 47

ग्राम पंचायत : अण्वाड

उपमंडल चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

प्रस्ताव संख्या : 01

दिनांक 01/01/2015

अध्यक्षता : श्रीमति 22/8/15

उपस्थिति : 12/12

विषय:- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक 11/01/15 को 12 बजे वन अधिकार समिति 47 की बैठक अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वनवासी के वन अधिकारों पर 7/12/14 को बुलाई गई बैठक की समीक्षा की गई। समिति ने 47 मुद्दों में वन भूमि पर अधिकारों हेतु मुश्किल-मुनादी इशतहार इत्यादि द्वारा व्यापक प्रचार किया है। 90 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर समिति के समक्ष कोई भी दावा या आक्षेप प्रस्तुत नहीं हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति का इस मुहाल के वन भूमि पर किसी भी किस्म का दावा व आक्षेप नहीं है। तथा कमेटी भी विचार विमर्श करने उपरांत यह महसूस करती है कि इस मुहाल में वन भूमि पर किसी किस्म का दावा शून्य है तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा अण्वाड के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जाए ताकि इस पर आगामी कार्यवाही हो सके। अतः इसकी प्रतिलिपि श्रीमान उपायुक्त महोदय, चम्बा। श्रीमान उपमंडल अधिकारी (ना0) चुराह। श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

22/8/15

Bhagat Ru

पुद्गाल/अध्यक्ष
वन अधिकार कमेटी
मुहाल डोरी

22/8/15

अध्यक्ष
वन अधिकार कमेटी
मुहाल डोरी

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमति ⁹⁰ हरदेई	समिति अध्यक्ष	हरदेई
2	श्री भवत राम	" सचिव	Bhagat Ram
3	श्री चम पाल	" उपाध्यक्ष	Bhagat
4	श्रीमति बाला देवी	" "	
5	श्री शरीफ	" "	Bhagat
6	श्रीमति सवित्री	" "	सवित्री शरीफ
7	श्री वलदेव	" "	सवित्री
8	श्री अशोक ताली	" "	Bhagat
9	श्री सुदेश कुमाल	" "	Ashtabatali
10	श्री जगम सिंह	" "	Bhagat
11	श्रीमिहल चन्द	" "	Bhagat
12	श्री शरीफ	" "	meher chand.
13			शरीफ
14			
15			

Attested

[Signature]

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

प्रस्ताव संख्या - 1

बैठक

मुहाल सभा

4/21

अध्यक्षता

श्रीमति हरदेवी लामा

उपस्थिति

360/536

दिनांक

9/1/2015

विषय:- वन अधिकार समिति मुहाल 4/21 के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों पर विचार।

अध्यक्ष वन अधिकार समिति मुहाल 4/21 ने मुहाल सभा 4/21 के सम्मुख वन अधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें उपरोक्त राजस्व मुहाल से सम्बंधित दावों व आक्षेपों को नियमानुसार आमंत्रित किया गया था। कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार 90 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी सम्बंधित मुहाल में वन अधिकार से सम्बंधित कोई भी दावा व आक्षेप कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिसे अनुमोदन हेतु मुहाल सभा 4/21 लाया गया है। मुहाल सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने विस्तारित चर्चा की तथा इस सम्बंध में सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वन अधिकार समिति 4/21 की सिफारिश उचित है तथा वन रक्षा अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी का दावा/आक्षेप इत्यादि प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः मुहाल 4/21 में यह दावा ग़ुन्य समझा जाता है। अतः सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित कार्यों के लिए भविष्य में अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस प्रस्ताव को मुहाल सभा में सर्वसहमति से पारित किया गया

प्रस्ताव की प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान उपायुक्त महोदय चम्बा। श्रीमान उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को भेजी जाती है।

Handwritten signature
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल कार्यवाही रजिस्ट्रर मुताबिक सही है।

Handwritten signature
चाड सक्षम

Handwritten signature
पुष्पा/सारंग
वन अधिकार समिति
मुहाल 4/21

Handwritten signature
Rohit Par
वन अधिकार समिति
मुहाल 4/21

कार्यालय वन अधिकार समिति

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प्रस्ताव संख्या 2

बैठक मुहाल सभा 4/11/15

अध्यक्षता श्री मति देवी

उपस्थिति 360/536

दिनांक 8/11/15

वन अधिकार समिति मुहाल सभा 4/11/15 की बैठक आज दिनांक 8/11/15 को 10 बजे स्थान 4/11/15 में श्री/श्रीमति 4/11/15 की अध्यक्षता में की गई जिसमें श्री/श्रीमति 4/11/15 गाँव के अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 4/11/15 मुहाल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग के निर्माण के लिए हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मन्जूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाँव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या पात्र गाँव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का दावा

1. — 2-2

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या पात्र गाँव वासी का नाम

1. 2-4

2.

Attested
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

4/11/15 मुहाल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान :-

दिनांक :-

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

ग्राम सभा

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल कार्यवाही रजिस्टर मुताबिक सही है।

4/11/15

4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15
4/11/15

732 69

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER CHAMBA, DISTT. CHAMBA, H.P.

Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Chamba District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Mrs. M.Sudha Devi, IAS, Deputy Commissioner Chamba 17-07-2015 at 03:00 P.M. at Chamba in which the application(s) of the applicant(s) of Tissagrah Gram Sabha claiming rights in Forest area(s) of this Gram Sabha under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Sub Division level Committee Churah were discussed to consider the same for admission by the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted.

<u>Sr.No.</u>	<u>Name of the Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right (s)</u>
1.	Nil	Nil	Nil

OR

As informed by SDO(C) Churah, no application was received from Tissagrah Gram Sabha claiming right (s) in Forest area of this Gram Sabha.

Place: Chamba (HP)
Dated:- 17-07-2015

M

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,
DLC Chamba, Distt. Chamba.

Attested
[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

Annexture 111

Office of the Sub-Division Officer (C), Churah, District Chamba (HP).

Proceeding of the meeting of the Sub Division level Committee constituted under Scheduled Tribe & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA),2006.

A meeting of Sub Division level Committee of Churah Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Sanjay Kumar Dhiman, SDO[Civil] Churah on 12-06-2015 at 11.00 AM at Bhanjraru in which the application[s] of ----- Gram Sabha claiming rights in-- --Nil----- forest areas under FRA,2006, duly processed and recommended by the ----- Gram Sabha/Mohal Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claim of following applicants were found in order and recommended for admission to District Level Committee.

S.No.	Name of Applicant	Name of Forest Right Committee	Detail of forest Right
-------	-------------------	--------------------------------	------------------------

-----Nil-----

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant	Name of ForestRight Committee	Detail of forest Right
-------	-------------------	-------------------------------	------------------------

-----Nil-----

OR

As informed by Tissagarh Gram Sabha/Mohal Sabha, no application was received claiming rights in Tissa garh forest area.

Place: Bhanjraru.

Date:22-06-2015

Enclosure:

Sanjay

Sanjay Kumar Dhiman
SDO[Civil] -cum-Chairman/ Chairperson,
Sub Division Churah, District Chamba,
Himachal Pradesh.

Attended

[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Dist. CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

पिजस्व मुहाल : ~~तीसागा~~ तीसागा

ग्राम पंचायत : तीसागा - 1.

तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक ~~28-05-2014~~ 28-05-2014

प्रस्ताव संख्या : 01

अध्यक्षता : श्री शांत कुमार







उपस्थिति : 10/10

विषय :- वन अधिकार समिति तीसागा मुहाल द्वारा ~~तीसागा~~ मुहाल के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों व आक्षेपों को आमंत्रित करने हेतु।

आज दिनांक 28/5/14 को 10:00 बजे वन अधिकार रक्षा समिति तीसागा कि बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता श्री शांत कुमार ने की है। आज इस कमेटी में यह विचार विमर्श हुआ कि इस मुहाल में वन रक्षा अधिकार समिति का गठन हो चुका है। तथा इस सम्बन्ध में वन भूमि के अधिकारों के लिए हितबद्ध व्यक्तियों के दावों व आक्षेपों पर विचार करने के लिए मुश्त्री - मुनादी व इशतहार चस्पा करके दावे आमंत्रित किये जाएं। ताकि इस पर आगामी कार्यवाही की जा सके। प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया। तथा इसकी सूचना श्री मान उपायुक्त महोदय चम्बा। उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्री मान खण्ड विकास अधिकारी तीसा व प्रधान ग्राम पंचायत तीसागा को भेजी जाए।


Y. K. S.

A. H. S. S. S.
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

क्र	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री आता कुमार	उपस्थित	
2	" राजा राजु	उपस्थित साचक	
3	" अनिल कुमार	उपस्थित	
4	" कृष्ण सिंह	उपस्थित	
5	कमल कुलसिंह	— उप —	कुलसिंह देवी
6	" कलिय सिंह	— उप —	
7	" जयप्रकाश	— उप —	
8	" रतन	— उप —	रतन
9	" ज्योति	— उप —	ज्योति
10	" देवी राम	— उप —	Devi Ram
11			
12			
13			
14			
15			

4/10/2017

Attest


District Revenue Officer,
Chamba, Dist CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

राजस्व मुहाल : तीसा कोट

ग्राम पंचायत : तीसा-157

उपमंडल चुराह, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 25/09/2014

प्रस्ताव संख्या : 01

अध्यक्षता : श्रीमान श्रीमान

उपस्थिति : 10/10

विषय:- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

आज दिनांक 25/09/2014 को 10:00 बजे वन अधिकार समिति तीसा कोट की बैठक अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वनवासी के वन अधिकारों पर 25/09/14 को बुलाई गई बैठक की समीक्षा की गई। समिति ने तीसा कोट में वन भूमि पर अधिकारों हेतु मुश्त्री-मुनादी इशतहार इत्यादि द्वारा व्यापक प्रचार किया है। 30 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर समिति के समक्ष कोई भी दावा या आक्षेप प्रस्तुत नहीं हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति का इस मुहाल के वन भूमि पर किसी भी किस्म का दावा व आक्षेप नहीं है। तथा कमेटी भी विचार विमर्श करने उपरांत यह महसूस करती है कि इस मुहाल में वन भूमि पर किसी किस्म का दावा शून्य है तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित के कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा तीसा कोट के विचारार्थ प्रस्ताव भेजा जाए ताकि इस पर आगामी कार्यवाही हो सके। अतः इसकी प्रतिलिपि श्रीमान उपायुक्त महोदय, चम्बा। श्रीमान उपमण्डल अधिकारी (ना0) चुराह। श्री मान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

40/09/14
तीसा कोट
ग्राम पंचायत

AHester

District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

तीसा कोट
वन अधिकार
मुहाल चुराह
जिला चम्बा

क्र	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री शान्ता कुमार	आदेशदाता	
2	"शान्ता कुमार	आदेशदाता	
3	"श्री राज	शासक	Yograj
4	"श्री सिंह	साक्षर	Kash Singh
5	"मोटे गुलमी देवी	दा	गुलमी देवी
6	"कलीप सिंह	दा	
7	"प्रमल उकड़ा	दा	Pranlal Ugrda
8	"रती	दा	रती
9	"ज्योति	दा	ज्योति
10	"देवी राम	दा	Devi Ram
11			
12			
13			
14			
15			

Yograj

District Revenue Officer,
 Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

District Revenue Officer,
 Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

कार्यालय वन अधिकार समिति

प्रस्ताव संख्या ①

वैठक ६ मुहाल सभा तीसा २०१५

अध्यक्षता : ~~श्रीमान चम्बा~~ श्रीमान नरला देवी वाई पंच

उपस्थिति : २३३/१०५

दिनांक : १५-०२-२०१५

विषय:- वन अधिकार समिति मुहाल तीसा के हितबद्ध व्यक्तियों से वन भूमि अधिकार के लिए दावों पर विचार।

अध्यक्ष वन अधिकार समिति मुहाल तीसा ने मुहाल सभा तीसा के सम्मुख वन अधिकार समिति द्वारा परित प्रस्ताव जिसमें उपरोक्त राजस्व मुहाल से सम्बंधित दावों व आक्षेपों को नियमानुसार आमंत्रित किया गया था। कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार ९० दिनों की अवधी व्यतीत हो जाने पर भी सम्बंधित मुहाल में वन अधिकार से सम्बंधित कोई भी दावा व आक्षेप कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिसे अनुमोदन हेतु मुहाल सभा तीसा लाया गया है। मुहाल सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने विस्तारित चर्चा की तथा इस तन्बध में सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वन अधिकार समिति तीसा की सिफारिश उचित है तथा वन रक्षा अधिकार अधिनियम २००६ के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वनवासी का दावा/आक्षेप इत्यादि प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः मुहाल तीसा में यह दावा ग्राह्य समझा जाता है। अतः सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व दूसरे जनहित कार्यों के लिए भविष्य में अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा। इस प्रस्ताव को मुहाल सभा में सर्वसहमति से पारित किया गया

प्रस्ताव की प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान उपायुक्त महोदय चम्बा। श्रीमान उपमण्डल अधिकारी (ना०) चुराह। श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी तीसा को भेजी जाती है।

Attested
[Signature]
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल कार्यवाही रजिस्टर मुताबिक सही है।

वाई सदस्या
नरला देवी

कार्यालय वन अधिकार समिति

सूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

प्रस्ताव संख्या (2)

बैठक

मुहाल सभा

अध्यक्षता

उपस्थिति

दिनांक

वन अधिकार समिति मुहाल सभा की बैठक आज दिनांक 15-02-2015 को 10.00 बजे स्थान में श्री/श्रीमति की अध्यक्षता में की गई जिसमें गाँव के अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुहाल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें विभाग के निर्माण के लिए हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मन्जूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाँव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का दावा
-------------	------------------------	-------------	-------------------

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
-------------	------------------------

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

मुहाल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान :-

दिनांक :-

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

ग्राम सभा

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल कार्यवाही रजिस्टर मुताबिक सही है।

वाइ स्टम्प
शरला देवी

Attested
District Revenue Officer,
Chamba, Distt. CHAMBA (H.P.)